न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम ....
22.2.2022	मु. सं. 2021/199 GMS आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राजगढ तहसील महवा की भूमि खसरा नं0 524, 525, 527, 528, 529 कुल किता 5 रकबा 1.28 है0 सायलान व गैरसायलान की संयुक्त कब्जा काश्त व पैतृक आराजी है जिस पर गैरसायलान नं. 2 का कोई कब्जा नही है। सायलान गैरसायलान नं. 2 के पुत्र हैं। गैरसायलान नं. 2 ने वादग्रस्त भूमि का 1/5 भाग विक्रय कर दिया है। लेकिन गैरसायलान नं. 2 को वादग्रस्त भूमि का 1/5 भाग विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रत्येक सायल का 1/5 भाग का 1/5 भाग है। इसलिये गैरसायलान नं. 2 ने वादग्रस्त भूमि का 1/5 भाग गलत विक्रय किया है। सायलान ने दिनांक 13.08.2021 को गैरसायलान नं. 1व 2 से रजिस्ट्री निरस्त करवाने व बटवारा करवाने को कहा तो इन्कार कर दिया इसलिये प्रा0 पत्र टी. आई. पेश करना जरूरी हुआ है। प्राईमा फेशी केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति सायलान के पक्ष में अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को टी.आई. से पाबंध फरमाया जावे। गैर सायलान नं. 1 व 2 की ओर से जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि सायलान का वादग्रस्त भूमि के किसी भी भूभाग पर कब्जा नहीं है और न ही सायलान के कब्जा व स्वामित्व की भूमि है। गैरसायलान लखन का सायलान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। [illegible] पुत्र या पिता–पुत्री [illegible] होने [illegible]

संतुलन प्रमाणित नहीं होते है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलो की बहस सुनी। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण ने दावा घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किया है वादग्रस्त भूमि प्राथीगण की पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का भी हिस्सा है किन्तु खातेदार लखन ने आराजी का 1/5 हिस्सा विक्रय कर दिया है जो गलत है। सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिंदु प्रमाणित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र टी.आई. स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने बहस का उत्तर देते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी चैनोदेवी सद्भावी क्रेता है। सायलान का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। सायलान व गैरसायलान जाति से मीना है जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि में गैरसायलान नं.2 1/5 का खातेदार था जिसे अपना हिस्सा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। सायलान का प्रथम दृष्टया मामला अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रमाणित नहीं है। अतः सायलान का प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभय पक्ष के वकीलो की बहस का मनन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम राजगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नंबर 524,525,527,528,529 कुल किता 5 रकबा 1.28 हैक्टेयर लखन पुत्र रघुनाथ का 1/5 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत शजरा के अनुसार प्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 के पिता तथा प्रार्थिया संख्या 2 के पति है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि लखन के पिता

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं. 2021/199 GCMS No.	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।	

चूंकि वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है तथा उनके अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा। किन्तु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करने के लिये प्रथम दृष्टया ही परीक्षण किया जाना है। यदि लखनलाल खातेदार आराजी के संपूर्ण हिस्सा का विक्रय करता है या खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थीगण उनके अधिकारों से वंचित होंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। चूंकि प्रथम दृष्टया व अपूर्तनीय क्षति के बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को प्रमांणित करने में सफल रहे है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम राजगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नंबर 524, 525, 527, 528, 529 कुल किता 5 रकबा 1.28 हैक्टेयर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विनोद कुमार ...